

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद
मुं नं० ८० ज० वि० अधि०
न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद।

वाद सं० ३६७

सन्-2018

इन्द्रप्रस्थ चैरिटेबुल एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

ग्राम पंचायत

धारा 80 ज० वि० अधि०

ग्राम-सराय दारा शिकोह उर्फ

मिझूरा, परगना सिकन्दरा

तहसील फूलपुर, इलाहाबाद

निर्णय

प्रस्तुत वाद इन्द्रप्रस्थ चैरिटेबुल एजुकेशनल ट्रस्ट ग्राम सराय दारा शिकोह उर्फ मिझूरा, परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष संत लाल यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी सराय दारा शिकोह उर्फ मिझूरा, परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर इलाहाबाद ने अंतर्गत धारा 80 ज० वि० अधि० के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम सराय दारा शिकोह उर्फ मिझूरा के गाटा संख्या 163 छ, 171 रकबा 0.8557 हे० एवं 163 इया 0.1522 हे० कुल रकबा 1.0079 हे० का संकमणीय भूमिधर है। उपरोक्त हिस्से की भूमि पर कालेज का भवन बनाकर काबिज दाखिल हैं और भूमि का प्रयोग अकृषित रूप से किया जा रहा है। भूमि को अकृषित घोषित किया जाय। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फूलपुर से जाँच करायी गयी तहसीलदार फूलपुर ने दिनांक 07.08.2018 को अकृषित घोषित कर लगान मुक्त करने की आख्या प्रस्तुत की है। तहसीलदार फूलपुर की जाँच आख्या स्वीकार की जाती है।



अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम सराय दारा शिकोह उर्फ मिझूरा परगना सिकन्दरा के गाटा सं० 163 छ, 171, व 163 इया, रकबा 1.0079 हे० भूमि अकृषित घोषित कर लगान मुक्त की जाती है। तहसीलदार फूलपुर की जाँच आख्या दिनांक 07.08.2018 आदेश का अंग होगा। तदनुसार परवानी अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

निरस्त

निरस्त

18/8/18

उप जिलाधिकारी
फूलपुर इलाहाबाद

TRUE COPY
Phoolpur, Allahabad

प्रार्थना पत्र देने की तिथि... 16-8-18...
तैयारी करने की तिथि... 17-8-18...
पत्र जारी करने की तिथि... 18-8-18...